प्रेस नोट

!!CRACKDOWN IN KANPUR DEHAT!!

थाना गजनेर | **दिनांक- 04.09.2025**

- ❖ **स्कूटी सवार एक दंपति का अपहरण की कोशिश करने वाले कार सवार 02 नफर अन्तर्जनपदीय अभियुक्तगण को पुलिस मुठभेड़ के दौरान किया गया गिरफ्तार।**
- ❖ **अभियुक्तगण के कब्जे से 01 अदद मोटरसाइकिल, 01 अदद कीपैड मोबाइल, 01 अदद एंड्रॉइड मोबाइल फोन, 02 अदद तमन्चा 315 बोर मय 04 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर व 03 अदद खोखा कारतूस 315 बोर बरामद।**
- ❖ **एक अभियुक्त पर आधा दर्जन से अधिक व दूसरे अभियुक्त पर एक दर्जन से अधिक अभियोग हैं पंजीकृत।**

कृपया अवगत कराना है कि जनपद कानपुर देहात पुलिस द्वारा अपराध नियन्त्रण की दिशा में घटनाओं की रोकथाम व खुलासे हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, दिनांक 30.08.2025 को देर शाम थाना गजनेर क्षेत्रान्तर्गत सरवनखेड़ा से मनेथू की ओर जाने वाले मार्ग पर लोहारी और सिकंदरपुर गांव के बीच में सुनसान रास्ते पर स्कूटी सवार एक दंपति को कार सवार बदमाशों द्वारा अपहरण करने की कोशिश की गयी थी। उक्त घटना के संबंध में थाना गजनेर पर मु0अ0सं0 261/25 धारा 140(2)/62/115(2) बीएनएस0 पंजीकृत कर घटना के सफल अनावरण और अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन किया गया था। आज दिनांक 03/04.09.2025 की रात्रि को उक्त घटना से संबंधित 02 अभियुक्तगण के मोटरसाइकिल से ग्राम खनपना से मनेथू, लोहारी, गोगूमऊ होते हुए रायपुर की ओर जाने की सूचना मुखबिर से प्राप्त हुई। इस सूचना पर त्वरित कार्यवाही करते हुये स्थानीय पुलिस टीम द्वारा उक्त अभियुक्तगण की घेराबंदी ग्राम गोगूमऊ और लोहारी के बीच सराय मोड़ के पास की गई। पुलिस टीम की चेकिंग को देखकर व पुलिस टीम द्वारा रोके जाने का इशारा करने पर संदिग्ध मोटरसाइकिल सवार स्पीड बढ़ाकर ग्राम सराय की ओर भागे तभी सामने से आ रही दूसरी पुलिस टीम द्वारा घिर जाने पर उक्त संदिग्धों द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग शुरू कर दी गयी। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ न्यूनतम बल का प्रयोग करते हुए फायर किया गया तो अभियुक्तगण के पैर में गोली लगी, जिससे वे गिर गये, जिनको पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ करने पर एक व्यक्ति ने अपना नाम सूर्यकांत चौरसिया उर्फ सूर्या पुत्र राम किशोर निवासी ग्राम डोड़वा जमौली, थाना बिल्हौर, जनपद कानपुर नगर व दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम अर्जुन मिश्रा उर्फ कन्हैया पुत्र स्वर्गीय आशीष मिश्रा निवासी 9/32 नई लेबर कॉलोनी, दादा नगर, थाना गोविंद नगर, जनपद कानपुर नगर बताया। अभियुक्तगण के कब्जे से 01 अदद मोटरसाइकिल कावासाकी, 01 अदद कीपैड मोबाइल व 01 अदद एंड्रॉइड मोबाइल फोन, 02 अदद तमन्चा 315 बोर मय 04 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर व 03 अदद खोखा कारतूस 315 बोर मौके से बरामद हुए। घायल अभियुक्तगण को उपचार हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गजनेर भेजा गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना गजनेर पर मु0अ0सं0265/2025 धारा 109(1) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण का विवरण-

1. सूर्यकांत चौरसिया उर्फ सूर्या पुत्र राम किशोर, उम्र करीब 27 वर्ष, निवासी ग्राम डोड़वा जमौली, थाना बिल्हौर, जनपद कानपुर नगर।
2. अर्जुन मिश्रा उर्फ कन्हैया पुत्र स्वर्गीय आशीष मिश्रा, उम्र करीब 25 वर्ष, निवासी 9/32 नई लेबर कॉलोनी, दादा नगर, थाना गोविंद नगर, जनपद कानपुर नगर।

बरामदगी-

01 अदद मोटरसाइकिल, 01 अदद कीपैड मोबाइल, 01 अदद एंड्रॉइड मोबाइल फोन, 02 अदद तमन्चा 315 बोर मय 04 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर व 03 अदद खोखा कारतूस 315 बोर बरामद।

पूछताछ का विवरण-

दोनों अभियुक्तों से भागने व पुलिस टीम पर फायर करने के विषय में पूछा गया तो दोनों ने संयुक्त रूप से बताया कि साहब हम लोग बकरी चोर हैं। हमारा एक संगठित गिरोह है, जिसमें हमारा तीसरा साथी आयुष कमल पुत्र सुन्दर लाल निवासी ग्राम रायगोपालपुर, थाना चौबेपुर, जनपद कानपुर नगर भी शामिल है। हम लोग मोटर साइकिल व अन्य साधनों से घूम-घूम कर पहले रैकी करते हैं और बाद में देर रात कार से चिन्हित स्थलों से बकरी चोरी की घटनाओं को अन्जाम देते हैं। इसी क्रम में दिनांक 30.08.2025 को शाम करीब 7:00 बजे हम तीनों सरवनखेड़ा क्षेत्र से अपनी स्विफ्ट डिजायर कार से बकरी चोरी करने के लिये निकले थे। हम लोगों ने उस गाड़ी की आगे और पीछे की नम्बर प्लेटें निकालकर गाडी के अन्दर रख लीं थीं। गाड़ी अर्जुन मिश्रा उर्फ कन्हैया चला रहा था व को-ड्राइवर सीट पर सूर्यकान्त चौरसिया उर्फ सूर्या व आयुष गाड़ी में पीछे बैठा था। हम लोग रायपुर मोड़ के पास स्थित शराब की दुकान से शराब लेकर अपनी गाड़ी पर शराब पी रहे थे। तभी हमारे पास एक स्कूटी सवार दम्पत्ति आकर रुके। गाड़ी खडी करके पुरुष पास की दुकान से पान मसाला लेने चला गया तो, कार में पीछे बैठे आयुष ने उक्त महिला को पाँच सौ रुपये दिखाते हुए उससे यौन इच्छा पूर्ति करने के लिये कहा, पर वह महिला भड़क गयी और हम लोगों को बहुत खरी-खोटी सुनाई। इसी दौरान उसका पति भी आ गया, उसने भी हम लोगों को बहुत उल्टा-सीधा कहा। इसके बाद दम्पत्ति अपनी स्कूटी लेकर आगे बढ़ गया। कुछ देर बाद हम लोग भी शराब पीकर आगे बढ़े, तो आगे गोगूमऊ क्रासिंग बंद थी, जहाँ उक्त स्कूटी सवार दम्पत्ति हमें पुनः मिला। तब उस महिला को देखकर हम तीनों की नियत खराब हो गयी और हम तीनों ने उन दोनों को सबक सिखाने के साथ-साथ महिला से बलात्कार करने का पक्का इरादा कर लिया था। क्रासिंग खुलने के बाद हम लोग अपनी कार से उक्त स्कूटी सवार दम्पत्ति से कुछ दूरी बनाकर उनके पीछे-पीछे चलने लगे, ताकि उन्हें हमारे द्वारा उनका पीछा करने का संदेह न हो। गोगूमऊ से चलकर सरवनखेड़ा से बाँये मुड़कर सिकन्दरपुर और लोहारी गांव के बीच में सूनसान रास्ते पर हमने अपनी कार से उन्हें ओवरटेक करके रोका और उक्त महिला को अपने साथ चलने के लिये कहा। जब महिला और उसके पति ने विरोध किया तो सूर्यकान्त व आयुष ने महिला को कार की पिछली सीट में अन्दर खींच लिया और गाड़ी आगे बढ़ा दी। जब महिला के पति ने इस बात का विरोध किया और दरवाजे पर लटक कर शीशे पर अपने हाथ और सिर पटक-पटक कर जोर-जोर से चिल्लाने लगा, जिससे खेंतो में मौजूद और रास्ते से गुजर रहे ग्रामीण ससंकित होने लगे तो सूर्या और आयुष ने उसके पति को भी कार में अन्दर खींच लिया। इसी बीच मौका पाकर महिला चलती कार से कूद गई। हम लोग महिला के पति को कार में लेकर गाँव लोहारी व मनेथू पार कर रुपपुर गाँव की ओर बढ़े, तब तक स्थानीय ग्रामीणों ने हम लोगों का रास्ता बन्द कर दिया और आक्रामक हुए, जिससे हम लोग घबरा गये और गाड़ी मोड़कर वापस मनेथू गाँव की तरफ भागे। तब तक मनेथू गाँव की ओर से भी स्थानीय ग्रामीण भी हमारा रास्ता बन्द कर घेरने का प्रयास करने लगे। अपने को घिरा समझकर व सुरक्षित भागने का कोई और रास्ता न देख हम लोगों ने गाडी वहीं रास्ते में छोड़कर खेतों और जंगल की ओर भाग गये थे। वहाँ रातभर किसी प्रकार से खुद को छिपते-छिपाते अगले दिन हम लोग वहाँ से निकल पाये थे। तब से अभी तक किसी तरह से अपनी गाड़ी और घटना के बारे में पुलिस द्वारा की जा रही कार्यवाही के बारे में इधर-उधर से पता लगा रहे थे और आज अपनी स्विफ्ट डिजायर कार को देखने इधर आये थे और वापस कानपुर की तरफ जा रहे थे। हम लोगों ने समझा कि आप लोगों को हमारे बारे में जानकारी हो गई है, इसलिए पुलिस को देखकर व खुद के रोके जाने पर हम लोगों ने भागने का प्रयास किया था, कि आप लोगों ने पकड़ लिया है। रास्ते में तमाम तरह के खतरों से निपटने के लिये हम अपने पास तमंचे-कारतूस लिये हुए थे। जो बात थी, वह सच-सच हमने आपको बता दी है।

1. अभियुक्त सूर्यकांत उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

(1) मु0अ0सं0 081/20 धारा 376/506 भादवि0 व धारा 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट थाना बिल्हौर जनपद कानपुर नगर

(2) मु0अ0सं0 511/23 धारा 504/506 भादवि0 थाना कोतवाली औरैया जनपद औरैया

(3) मु0अ0सं0 34/23 धारा379/411 भादवि0 व 11(1) पशु क्रूरता अधिनियम थाना कैलिया जनपद जालौन

(4) मु0अ0सं0 40/24 धारा 379/411 भादवि0 थाना कल्याणपुर जनपद कानपुर नगर

(5) मु0अ0सं0 85/24 धारा 323/34/364/388/394/411/504/120B भादवि0 थाना अरौल जनपद कानपुर नगर

(6) मु0अ0सं0 86/24 धारा 307 भादवि0 व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना अरौल जनपद कानपुर नगर

(7) मु0अ0सं0 55/23 धारा 379/411 भादवि0 व 11(1) पशु क्रूरता अधिनियम थाना एट जनपद जालौन

2. अभियुक्त अर्जुन मिश्रा उर्फ कन्हैया उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

(1) मु0अ0सं0 203/20 धारा 399/402 भादवि0 थाना कुठौंद जनपद जालौन

(2) मु0अ0सं0 74/24 धारा 323/504 भादवि0 व धारा 3(1)घ/3(1)द/3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट थाना फजलगंज जनपद कानपुर नगर

(3) मु0अ0सं0185/17 धारा 392/411 भादवि0 थाना गोविंद नगर जनपद कानपुर नगर

(4) मु0अ0सं0 183/18 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना गोविंद नगर जनपद कानपुर नगर

(5) मु0अ0सं0 25/20 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना गोविंद नगर जनपद कानपुर नगर

(6) मु0अ0सं0 696/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना गोविंद नगर जनपद कानपुर नगर

(7) मु0आ0स0 697/20 धारा 41/411/413 भादवि0 थाना गोविंद नगर जनपद कानपुर नगर

(8) मु0अ0सं0 297/18 धारा 323/452/504/506 भादवि0 थाना जूही जनपद कानपुर नगर

(9) मु0अ0सं0274/17 धारा 379/411/413/414 भादवि0 थाना किदवई नगर जनपद कानपुर नगर

(10) मु0अ0सं082/18 धारा 379/411 भादवि0 थाना किदवई नगर जनपद कानपुर नगर

(11) मु0अ0सं0 280/23 धारा 379/411 भादवि0 थाना सचेंडी जनपद कानपुर नगर

(12) मु0अ0सं0 281/23 धारा पशु क्रूरता अधिनियम थाना सचेंडी जनपद कानपुर नगर

(13) मु0अ0सं0 283/23 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना सचेंडी जनपद कानपुर नगर

(14) मु0अ0सं0 205/24 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना गुजैनी जनपद कानपुर नगर

(15) मु0अ0सं0 526/16 धारा 411/414/420 भादवि0 थाना बर्रा जनपद कानपुर नगर

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना गजनेर पुलिस